

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 896

दिनांक 13/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.पुरखाराम 2.हरचन्द्रराम 3.कलाराम पि.  
नारणाराम 4.केसीदेवी पत्नि लिछमणाराम  
5.चन्द्रा पुत्री लिछमणाराम (ना.बा.वली माता  
प्रार्थी सं. 4), जातियान जाट, निवासी पोशाल,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.भीयाराम 2.मेहाराम 3.चूनाराम पि.देरामाराम, जाति  
जाट, निवासी पोशाल, 4.मूलाराम पुत्र बीजाराम  
5.खातु पत्नि बीजाराम 6.पूनमचन्द पुत्र चेतनराम  
7.कमला पत्नि चेतनराम, जाति मेगवाल, निवासी  
बीजराड 8.हनीफ पुत्र जगमाल 9.हसन पुत्र  
इब्राहीम 10.मुराद 11.रोशना पि. साईदाद, जाति  
मुसलमान, निवासी तमाची की गफन 12.लूणाराम  
13.कैवाराम 14.महेन्द्रा 15.जोधाराम पि. आदाराम,  
जाति गुरु, निवासी तमाची की गफन तहसील  
चौहटन जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 157/2018

दिनांक : 18.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा पोशाल के खेत खसरा सं. 466/11 रकबा 45.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 897 to 900

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण पुरखाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण भीयाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 19/04/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन